न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 18/2016

1. श्री राधेश्याम पुत्र श्री कल्याण डाकोत पुजारी मंदिर श्री शनीदेव जी महाराज वाके ग्राम रामगढ़ तहसील विजयनगर जिला अजमेर।
2. श्री भोमाराम पुत्र श्री मोहनलाल तेली
3. श्री रंगलाल पुत्र श्री भालू गुर्जर
4. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामा भील
5. श्री बाबूलाल पुत्र श्री हीरा नाई
6. श्री लादूसिंह पुत्र श्री सेवा रावत
7. श्री पूना पुत्र श्री मांगू कुम्हार
8. श्री कल्याण पुत्र श्री नेनूसिंह रावत
9. श्री चेतन नाथ पुत्र श्री हरदेव नाथ
10. श्री जीवराज पुत्र श्री नन्दा रेगर
11. श्री श्रवणलाल पुत्र श्री बालचन्द जैन
12. श्री कैलाश पुत्र श्री हरदेव तेली
13. श्री छगन पुत्र श्री मोहन तेली
14. श्री अशोक पुत्र श्री हरजी कुम्हार
15. श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री मिश्रीलाल जैन
16. श्री दुदाराम पुत्र श्री जेठूराम गुर्जर
17. श्री तेजराम पुत्र श्री पांचूराम गुर्जर
18. श्री सांवरलाल पुत्र श्री मिश्रीलाल तेली
19. श्री महावीरसिंह पुत्र श्री उदयसिंह रावत
20. श्री नेनूसिंह पुत्र कानसिंह रावत
21. श्री महावीर प्रसाद पुत्र लादूलाल शर्मा

समस्त सरंक्षक मंदिर श्री शनीदेव जी महाराज वाके ग्राम रामगढ़ तहसील विजयनगर जिला अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

श्री रामदेव पुत्र श्री गोकल तेली निवासी रामगढ़ तहसील विजयनगर जिला अजमेर।

.....अप्रार्थी

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996

उपस्थित :– 1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी वकील अप्रार्थी की ओर से।

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

दिनांक 15.03.2017

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा श्री रामदेव पुत्र श्री गोकल जाति तेली निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील विजयनगर जिला अजमेर के पक्ष में वर्ष 1990—91 में बापी पट्टा क्रमांक 11 पत्रावली क्रमांक 2 बी 88—89 दिनांक 23.07.1990 के क्रम में दिनांक 08.08.1990 को जारी कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी बापी पट्टा संख्या 11 दिनांक 08.08.1990 को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु यह निगरानी याचिका इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। निगरानी पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया तथा अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए तथा लिखित बहस पेश की। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण ग्राम रामगढ़ के निवासी है तथा ग्राम रामगढ़ में शनि महाराज के लिए खसरा नम्बर 2754 में प्रस्ताव संख्या 3 से ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 23.09.1986 को 1350 वर्ग फीट का निः शुल्क पट्टा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जारी किया गया है। उक्त खसरा नम्बर 2754 में नैनूसिंह रावत को 135X70 फीट का पट्टा दिनांक 05.05.1988 को जारी किया गया है एवं इसी खसरा नम्बर में पट्टा क्रमांक 11 वर्ष 1990—91 में अप्रार्थी रामदेव पुत्र गोकल को दिनांक 08.08.1990 को जारी किया गया है जबकि नैनूसिंह रावत व शनि महाराज के पट्टे का मिलान करने पर मौके पर कोई जमीन उपलब्ध नहीं रहती है, इससे अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया पट्टा प्रथम दृष्टया ही अवैध होने से निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि शनि महाराज एवं नैनूसिंह रावत के पक्ष में जारी पट्टों के उपरान्त मौके पर किसी प्रकार की भूमि उपलब्ध नहीं रही है केवल मात्र ब्यावर विजयनगर सड़क पर पूर्व दिशा में 21 फीट पश्चिम दिशा में 2 फीट, उत्तर दिशा में 23 फीट एवं दक्षिण दिशा में 30 फीट आराजियात ही पाई गई है फिर भी भूतपूर्व सरपंच द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में 30 X60 फीट का पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी द्वारा आक्षेपीय पट्टे की आड़ में शनि महाराज के चबूतरे को जबरन तोड़ा जा रहा है जो मन्दिर मूर्ति के हितों के विपरीत होने के साथ ही विवाद का कारण है। स्वयं ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 06.08.2013 से यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा नैनूसिंह व शनि महाराज को जारी पट्टे के बीच बालाजी को जाने वाली सड़क पर 21 फीट व पश्चिम में 2 फीट की गली है जहां से ग्रामवासी बालाजी दर्शन हेतु जाते है, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका मुआयना करवाये अप्रार्थी के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है जो विवाद का कारण है एवं धार्मिक स्थल की आराजियात बाबत किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो इसलिए ग्राम पंचायत को उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु अनुशंषा की गई है। वकील प्रार्थी ने आगे कथन किया कि स्वयं ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा दिनांक 28.08.2013 को ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किए गये आक्षेपीय पट्टे को मौके पर जमीन नहीं होने तथा अप्रार्थी द्वारा सार्वजनिक चबूतरे को तोड़कर अतिक्रमण करने पर पट्टा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
अपर कलक्टर

Scanned by CamScanner

निरस्त करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर विकास अधिकारी मसूदा को भी सूचित किया है, इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौके की जांच कर मौके पर मन्दिर शनि महाराज के चबूतरे को अप्रार्थी द्वारा तोड़फोड़ कर चारदीवारी का निर्माण करना पाया एवं इस हेतु पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जाकर उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने के आदेश भी जारी किए गये। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय बापी पट्टा निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि मौके पर भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत रामगढ़ व विकास अधिकारी पंचायत समिति मसूदा को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि प्रकरण में वे आवश्यक पक्षकार थे। अतः निगरानी पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को छिपाया है कि जिस पट्टा विलेख को निगरानी के माध्यम से चुनौती दी गई है, उस पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ब्यावर से स्थगन आदेश जारी होकर प्रभावी है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा विलेख को ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा पूर्व में इसी न्यायालय में निगरानी संख्या 19/2016 प्रस्तुत की थी जिसे ग्राम पंचायत रामगढ़ ने साधारण सभा में लिए गये प्रस्ताव की रूह से दिनांक 15.07.2016 को विड्रॉ कर लिया गया है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि तत्कालीन उप सरपंच श्री महावीर प्रसाद जैन को सरपंच की शक्तियों का प्रयोग करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था इसके बावजूद अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उनके द्वारा अपने रिश्तेदारों के पक्ष में पट्टे जारी कर दिय गये, जिन्हें निरस्त करवाने हेतु माननीय न्यायालय में तीन निगरानियां पेश कर रखी है जिससे द्वेषतावश उन्होंने यह निगरानी पेश की है। उन्होंने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी के पक्ष में आक्षेपीय बापी पट्टा जारी किया गया है जो धारा 97 पंचायत राज अधिनियम की परिधि में नहीं आता है। बापी पट्टा पूर्वजों के समय से आबादी भूमि में कब्जे व आधिपत्य की भूमि पर जारी किया जाता है उक्त भूमि पंचायती राज अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही आबादी भूमि थी। अतः निगरानी पोषणीय नहीं है। उन्होंने अन्त में कथन किया कि विवादित भूमि के पट्टे में अंकित नाप अनुसार अप्रार्थी की चारदीवारी व लोहे का गेट लगा हुआ है एवं उसी पर शान्तिपूर्ण कब्जा व आधिपत्य अप्रार्थी के पूर्वजों के समय से चला आ रहा है जिसे इस निगरानी के माध्यम से बेदखल नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 28.08.2013 के प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी बापी पट्टा विलेख में अंकित नाप अनुसार मौके पर भूमि उपलब्ध नहीं होने के साथ ही अप्रार्थी को दिनांक 02.08.2013 को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया गया, किन्तु उन्होंने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश ब्यावर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है तथा अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी है। वकील प्रार्थी के कथनानुसार मौके पर, यथास्थिति बनाये रखने हेतु दोनो पक्षों द्वारा

अपर कलक्टर

Scanned by CamScanner

आदेशित किया गया है जिसमें आक्षेपीय पट्टे की निगरानी याचिका के निस्तारण में कोई प्रतिबंध नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत बापी पट्टा क्रमांक 11 वर्ष 90–91 दिनांक 08.08.1990 निरस्त किया जाकर निगरानी ग्राम पंचायत रामगढ़ पंचायत समिति मसूदा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे प्रार्थीगण व अप्रार्थी की उपस्थिति में पुनः विवादित भूमि का मौका जांच कर माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ब्यावर के न्यायालय में विचाराधीन अपील एवं उसमें जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा के परिपेक्ष्य में नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 15.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner